

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2023—आश्विन 26, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2023

फ़. क्र. 22-2023-चार-वि.निर्वा.-125.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 52/2023/SDR/Vol. I दिनांक 10 अक्टूबर 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2023

### अधिसूचना

सं. 52-2023-एसडीआर/खंड-I.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा.60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे.

आदेश से,

हस्ता./-

( एस. बी. जोशी )

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 10<sup>th</sup> October, 2023

NOTIFICATION

No. 52-2023-SDR-Vol. I.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing general elections to the Legislative Assemblies of Mizoram, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Telangana and bye election in 43-Tapi (ST) Assembly Constituency of Nagaland, to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964 (E), dated 19<sup>th</sup> June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By order,  
Sd./-  
(S. B. JOSHI)  
Principal Secretary,  
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

सं. 52-2023-एसडीआर/खंड-I.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिन्हित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र, द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 एवं का. आ. सं. 3778 (अ.) दिनांक 23 अगस्त, 2023 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जरिए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे.

आदेश से,  
हस्ता./-  
(एस. बी. जोशी)  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 10<sup>th</sup> October, 2023

NOTIFICATION

No. 52-2023-SDR-Vol. I.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing general elections to the Legislative Assemblies of Mizoram, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Telangana and bye election in 43-Tapi (ST) Assembly Constituency of Nagaland, to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended *vide* Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786 (E), dated 22<sup>nd</sup> October, 2019, and SO No. 3778(E), dated 23<sup>rd</sup> August, 2023.

By order,  
Sd./-  
(S. B. JOSHI)  
Principal Secretary,  
*Election Commission of India.*